

300  
22/5/2019

तत्काल

विषय: हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2018-19 के वेतन में से इनकम टैक्स की कटौती करने उपरान्त फार्म-16 देने बारे।

क्या

1. मुख्य मंत्री जी के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव -I-II/प्रधान विशेष कार्यकारी अधिकारी के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2. मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के निजी सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक/शाखा इन्चार्ज।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देगे?

2. सूचित किया जाता है कि लेखा शाखा द्वारा वर्ष 2018-19 के वेतन में से आयकर की कटौती उपरान्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे लेखा शाखा में आकर अपना फार्म-16 दिनांक 20.08.2019 तक प्राप्त करें। ताकि आयकर रिटर्न फाईल की जा सके।

J. Kapur  
अधीक्षक लेखा

कृते: उप सचिव (सामान्य), हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. मुख्य मंत्री जी के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव -I-II/प्रधान विशेष कार्यकारी अधिकारी के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2. मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के निजी सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक/शाखा इन्चार्ज।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।

अशा क्रमांक 11/14/2017-3ए

दिनांक चण्डीगढ़ 22/05/2019